

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(3)(6)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/142075

जयपुर, दिनांक 7-8-18

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं -


क्र. सं.	नाम कार्मिक (श्री/ श्रीमती/ सुश्री)	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1	श्री हरिकिशन शर्मा	व.सहा.	परि. टोडाभीम (करौली) स्थानान्तरणाधीन	परि. बांदीकुई (दौसा)	श्री रमेश चन्द मीणा के स्थान पर
2	श्री रमेश चन्द मीणा	व.सहा.	परि. बांदीकुई (दौसा)	परि. बामनवास (स.मा.)	रिक्त पद पर

उक्त के अतिरिक्त परियोजना टोडाभीम में कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्री देवदार मीणा को विभागीय आदेश क्रमांक 138896 दिनांक 01-08-2018 द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया था। उक्त आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग के आदेश दिनांक 31-7-2018 के क्रम में जो कार्मिक फोटोयुक्त मतदान सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं, उक्त कार्मिकों पर यह आदेश वर्णित कार्य पूर्ण होने तक प्रभावी नहीं होगा।

उक्त आदेश को कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(3)(6)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/142076-086

जयपुर, दिनांक 7-8-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0, जयपुर।
- (3) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- (4) उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग करौली/सवाई माधोपुर/दौसा।
- (5) बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं,
- (6) सम्बन्धित कार्मिक
- (7) व्यक्तिगत पत्रावली
- (8) आदेश पत्रावली


उप निदेशक (प्रशासन)